आय वर्ग के बच्चों का प्रवेश नहीं होता है और कई तरह के बहाने बनाकर वहां का प्रबंधन ऐसे बच्चें को वापस भेज देता है। क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे कि इन विद्यालयों की जो निर्धारित छात्र संख्या है, उसमें कितनी सीटें कमजोर आय वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गयीं, उसकी सूचना बाकायदा उस विद्यालय में लगे, ताकि कमज़ोर आय वर्ग के बच्चों की जो संख्या है, वह निर्धारित हो सके और उन विद्यालयों में उनका प्रवेश हो सके।

श्री प्रकाश जावडेकर: महोदय, यह एक अच्छा सुझाव है कि स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स EWS category में आए। It is a suggestion for action.

DR. NARENDRA JADHAV: Sir, according to Section 12(c) of RTE Act, 2009, it is mandated that all private unaided schools must admit in Class-I, at least 25 per cent of the strength of that class, children belonging to weaker sections and disadvantaged group. Sir, from the Annexure-II, I am appalled to see that not even a single student from weaker section and disadvantaged strata has been admitted for the last three years in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab...

MR. CHAIRMAN: As a Member, you cannot say like this. You can say a number of States. Let the Minister. ...*(Interruptions)*...

DR. NARENDRA JADHAV: I am quoting from the. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have to ask supplementary. You cannot read the answer.

DR. NARENDRA JADHAV: My supplementary question is, it is making a mockery of a very good scheme, what action is being taken on these things.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: We have written umpteen times to States, who are not doing this and where the admissions have not taken place because this is absolutely against the spirit of law. Therefore, we are emphasizing. Fifteen States have issued per child cost norms for reimbursement. There only, admissions are happening. The expenditure of reimbursement, which was ₹ 250 crores in 2014-15, was ₹ 1,345 crores last year.

*229. [*प्रश्नकर्ता अनुपस्थित थे।*]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

***229. श्री अहमद अशफाक करीम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने 2018-19 के समग्र शिक्षा-स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना शुरू की है जो स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में प्री-स्कूल में कक्षा XII तक के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान क्वालिटी सुनिश्चित करना है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- छात्रों को क्वालिटी शिक्षा उपलब्ध कराना और उनके अधिगम परिणामों में वृद्धि;
- स्कूल शिक्षा में सामाजिक और जेंडर संबंधी अंतरालों को दूर करना;
- स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना;
- स्कूलिंग प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना;
- शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना;
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता देना; और
- एससीईआरटी/राज्य शिक्षा संस्थानों और अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में डीआईईटी का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

पूर्व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) को समग्र शिक्षा में मिला दिया गया है। पूर्व एसएसए का कार्यान्वयन 2000-01 से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों सहित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा था। इसके अधीन प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता और रिटेंशन, जेंडर और सामाजिक वर्गों के अंतर को दूर करने जैसे प्रयासों तथा अधिगम की क्वालिटी में सुधार करने का प्रावधान था।

एसएसए के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से 2017-18 तक 8 पूर्वोत्तर राज्यों को 21,29,326.04 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय (डीओएनईआर), भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा सहित कुछ चुने गए क्षेत्रों में अवसंरचना के अंतर को दूर करने के लिए पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना का विकास योजना (एनईएसआईडीएस) शुरू की है। एनईएसआईडीएस का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और गौण क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन हेतु सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देकर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना है।

* 229. [*The questioner was absent.*]

Strengthening of elementary education in North Eastern Region

†229.SHRI AHMAD ASHFAQUE KARIM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has chalked out any scheme to strengthen the elementary education for educational development of children of North Eastern Region;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when the work under the scheme would be started?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Government has launched Samagra Shiksha - An Integrated Scheme for school education *w.e.f.* 2018-19, which is an overarching programme for the school education sector extending from pre-school to Class XII and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education. The objectives of the scheme are given below:

- Provision of quality education and enhancing learning outcomes of students;
- Bridging Social and Gender Gaps in School Education;
- Ensuring equity and inclusion at all levels of school education;
- Ensuring minimum standards in schooling provisions;
- Promoting Vocationalisation of education;
- Support States in implementation of Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009; and
- Strengthening and up-gradation of SCERTs/State Institutes of Education and DIET as nodal agencies for teacher training.

The erstwhile Centrally Sponsored Schemes of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE) have been subsumed in Samagra Shiksha. Erstwhile SSA was under implementation since

† Original notice of the question was received in Hindi.

2000-2001 for Universalisation of Elementary Education in partnership with State Governments including the States in North Eastern Region. It provided for a variety of interventions for universal access and retention, bridging of gender and social category gaps in elementary education and improving the quality of learning.

An amount of ₹ 2129326.04 lakh has been released to the 8 North Eastern States under SSA till 2017-18 since the inception of the scheme.

The Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER), Government of India has taken up a scheme of North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS), to fill up gaps of infrastructure in certain identified sectors of the North Eastern Region including education. The broad objective of NESIDS is to ensure focused development of the region by providing financial assistance for projects *inter alia* of social sector for creation of infrastructure in the areas of primary and secondary sectors of education and health.

प्रश्न संख्या 229

श्री सभापति: Questioner नहीं है। मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, मेरे यहां सभी questioner नहीं हैं, तो answer is laid on the Table of the House.

श्री वीर सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं...

श्री सभापति: आप लोगों के ऊपर उनको इतना भरोसा है कि ...

श्री वीर सिंह: महोदय, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के साथ-साथ पूरे देश में जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक स्कूल हैं, उनमें ज्यादातर सर्वसमाज के गरीबों के साथ-साथ, अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन प्राइमरी स्कूलों में, प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में कक्षा एक से आप अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था सुचारू करेंगे या नहीं और करेंगे तो कब तक?

श्री प्रकाश जावडेकर: यह question North-East के बारे में है। North-East में स्कूलों के लिए क्या किया गया है, यह प्रश्न है। National Achievement Survey में हर जिले की learning outcomes के आधार पर जो स्थिति है, वह North-East के सभी राज्यों को बताई गई है कि आपके जिले में शिक्षा की यह स्थिति है और इसमें सुधार करने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए।

Projects under IHSDP

*230.SHRI VIJAY PAL SINGH TOMAR: Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of towns and cities that have been covered, so far, under the Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP) during the last three years, State-wise, town-wise and city-wise;